प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 22 जनवरी, 2015**

विषय- वेतन समिति (2008) के प्रतिवेदन में फोटोग्राफर के सन्दर्भ में की गई संस्तुतियों को किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के फोटोग्राफर संवर्ग पर लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपयुर्क्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "वेतन समिति (2008) के नवम प्रतिवेदन भाग-1 में राजकीय विभागों के फोटोग्राफर संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में की गई संस्तुतियों पर शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2038/दस-54-(एम)2008 टी0सी0, दिनांक 17 अगस्त, 2010 में लिये गये निर्णयों तथा शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-664/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 26 सितम्बर, 2013 में लिये गये निर्णयों, जिसमें छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ (परिवर्तित नाम के0जी0एम0यू0 लखनऊ) के सामान्य कोटि के विभिन्न पदों/संवर्गो पर राजकीय मेडिकल कालेजों/राजकीय विभागों के सामान्य कोटि के विभिन्न पदों/संवर्गो के सम्बन्ध में लागू व्यवस्था के अनुरूप व्यवस्था निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है, के क्रम में राज्यपाल महोदय के0जी0एम0यू0 लखनऊ के फोटोग्राफर-कम आपरेटर (वेतनमान रू0 950-1500/सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 1900/-) तथा फोटोग्राफर (वेतनमान रू0 3200-4900/सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 2000/- के प्रथम स्तर के पदों का पदनाम कनिष्ठ फोटोग्राफर रखते हुए तत्काल प्रभाव से अर्थात प्रशासकीय विभाग द्वारा शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से वेतनमान रू0 4000-6000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400/-) निर्धारित करने के साथ उक्त पद पर इण्टरमीडिएट एवं छायाचित्र /चलचित्र में डिप्लोमा की अर्हता वाले अभ्यर्थियों से शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उपर्युक्त संशोधित वेतनमान में सम्बन्धित कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम) 2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 एवं सपठित शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-577/दस-59(एम)/2008, दिनांक 29 जून, 2010 के अनुसार किया जायेगा।

3- उपर्युक्त व्यवस्था का समावेश करते हुए सम्बन्धित सेवा नियमावली में यथाशीघ्र संशोधन कर लिया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-979/दस-2014, दिनांक 07-01-2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

उपर्युक्त व्यवस्था का समावेश करते हुए सम्बन्धित सेवा नियमावली में यथाशीघ्र संशोधन कर लिया जायेगा।

भवदीय

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-14/2015/2599/71-2-2014-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।